स्थित इस मंत्रालय के नियंत्रणाधीन कार्यालयों में पर्याप्त संख्या में देवनागरी टाइपराइटर, हिन्दी टंकक और आशुलिपिक उपलब्ध हैं और सरकारी काम-काज में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए सभी प्रयत्न किए जा रहे हैं।

Amounts atlotted to Andhra Pradesh under Central Road Fund Scheme

950. PROF. C. LAKSHMANNA: Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state:

(a) the amounts allotted to Andhra Pradesh under Central road fund scheme works; and

(b) whether Government propose to revise norms fixed in 1929 for the allocation of funds under this scheme in view of enormous rise in petroleum prices and the escalation of road building costs?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT (SHRI RAJESH PILOT): (a) Details of funds allotted during Seventh plan period are as under:—

(Rs in lakh)

Year	Amount allotted
1985—86	115.00
1986—87	130.00
1987—88	46.26 (Proposed for allotment as per requirement from State Government)

(b) The need for mobilisation of additional resources for the road sector including augmentation of Central Road Fund has been felt. No decision to revise the the existing norms has, however, been taken.

Demand for Pune-Ahmedabad Train

951. DR. BAPU KALDATE: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether Government have received representation from Pune Prawasi Sangh, Pune, requesting Government to provide Pune-Ahmedabad train;

(b) whether Government have considered the proposal; and

(c) if so, by when the proposed train from Pune to Ahmedabad is likely to commence?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI MADHAVRAO SCINDIA): (a) and (b) Yes, Sir.

(c) The proposal would involve heavy financial investment for upgrading the Diva-Vasai Road rail link and provision of the requisite passenger amenities. No specific time-frame for introduction of passenger trains has, therefore, been fixed.

केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड

952. **श्री संतोष बागडोदिया** : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का कार्यकाल किस तारीख को आरम्भ हुआ और यह कब खत्म होने वाला है ;

(ख) वर्तमान बोर्ड में कितने सदस्य हैं और प्रत्येक सदस्य का ब्यौरा क्या है और इनकी नियुक्ति किस प्रकार से की जाती है ; और

(ग) वर्तमान बोर्ड में सदस्यों के कितने पद रिक्त पड़े हैं और क्या इन पदों को भरे जाने के लिए संसद सदस्यों और अन्य विशिष्ट व्यक्तियों से संस्तुति पत्र मिले हैं ; यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल० पी० शाही) (क) चलचित्र अधिनियम, 1952 (1952 का 37) की धारा 3 (1) के केन्द्रीय सरकार को

फिल्म प्रमाणन बोर्ड नामक एक बोर्ड गठित करने का अधिकार दिया गया है जिसमें एक अध्यक्ष और कम से कम 12 और अधिक से अधिक 25 अन्य सदस्य होंगे जिनकी नियुक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा की जायेगी। चलचित्र (प्रमाणन) नियमावली, 1983 के नियम 3 के अन्तर्गत अध्यक्ष सहित बोर्ड का सदस्य केन्द्रीय सरकार की इच्छानुसार पद पर बना रहेगा। अध्यक्ष अपने पद पर उसके उत्तराधिकारी की नियुक्ति होने तक बना रहेगा, जबकि प्रत्येक अन्य सदस्य अधिक से अधिक तीन वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहेगा। कोई भी सेवा-निवृत्त हो रहा सदस्य अथवा कोई भी सदस्य, जिसका कार्य काल समाप्त हो गया है, पुनः नियुक्ति के लिए पात्र होगा। सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र आदि के कारण बोर्ड में रिक्त हुए पदों को नए सदस्य नियुक्त करके भरा जाता है।

अतः बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति एक सतत् प्रक्रिया है।

(ख) बोर्ड के सदस्यों की वर्तमान संख्या और सदस्यों की नियुक्तियों की तारीखें दर्शाने वाला विवरण संलग्न हैं। (नीचे देखिए)

(ग) इस समय स्पष्ट रूप से दो पद रिक्त हैं जबकि कार्य की आवश्यकता को देखते हुए जिन तीन सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो गया है, उन्हें अगले नोटिस तक कार्य करते रहने की अनुमति दी गई है।

रिक्त पदों को भरने के लिए राज्य के मुख्य मंत्री और सात संसद सदस्यों ने कुल मिलाकर पांच नामों की सिफारिश की है, जबकि एक प्रख्यात व्यक्ति ने एक नाम की सिफारिश की है। इस मामले पर विचार किया जा रहा है।

विवरण

केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड की वर्तमान सदस्य संख्या

क्र० सं०	नाम	क्षेत्र	नियुक्ति की तारीख	कैफियत
1.	सुश्री शांता गांधी	बम्बई	21-5-81	20-5-87 को दो कार्यकाल पूरे कर चुके हैं लेकिन इन्हें अगले नोटिस तक पद पर बने रहने के लिए कहा गया है।
2.	डा० (श्रीमती) सरयू वी० दोशी	,,	21-5-81	
3.	श्री भूपेन हजारिका	कलकत्ता	21-5-81	
4.	प्रो० एम० बी० वनमाली	कलकत्ता	11-5-84	3 वर्ष के दूसरे कार्यकाल में उनके पद पर बने रहने के संबंध में विचार किया जा रहा है।
5.	श्री डी० रामानुजम	मद्रास	11-5-84	
6.	श्री सी० वी० श्रीधर	मद्रास	11-5-84	
7.	श्री सामिक बनर्जी	कलकत्ता	11-5-84	
8.	श्रीमती अपर्णा सेन	कलकत्ता	11-5-84	
9.	श्री टी० एस० नरसिम्हन	बंगलौर	11-5-84	
10.	डा० बी० के० चन्द्रशेखर	बंगलौर	11-5-84	
11.	श्री पी० भास्करन	त्रिवेन्द्रम	11-5-84	
12.	श्री के० रविन्द्रनाथन नायर	त्रिवेन्द्रम	11-5-84	
13.	श्री जी० पी० सिप्पी	बम्बई	02-7-84	
14.	श्री टी० सुबीरामी रेड्डी	हैदराबाद	19-9:84	

क्र० सं०	नाम	क्षेत्र	नियुक्ति की तारीख	कैफियत
15.	डा० वी० एस० वेंकटवर्धन	बम्बई	05–5–86	
16.	श्रीमती शैलापारीख	बम्बई	05–5–86	
17.	श्रीमती विजया मेहता	बम्बई	05–5–86	
18	सुश्री मैत्रेयी रामादुरई	बम्बई	05–5–86	
19.	श्री एल० लक्ष्मीपति	हैदराबाद	05–5–86	
20.	श्रीमती राजी रंगाचारी	मद्रास	02–9–86	
21.	श्री विनय कुमार सिन्हा	बम्बई	30–10–87	

Centres for Technical and Vocational Education

953. SHRI SHANTI TYAGI: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) what is the number of centres of technical and vocational education and training in the rural areas of the country;

(b) whether Government have any new proposals for its extension; and

(c) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENTS OF EDUCATION AND CULTURE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI L. P. SHAHI): (a) to (c) The Ministry of Human Resource Development Department of Education did not have any scheme earlier to give assistance to States for setting up schools for vocational education in rural areas. A new scheme for extending assistance to States for starting 3-4 vocational courses in each selected school at plus two level has been started recently in 1987-88. Under this scheme assistance would also be available to schools in the rural areas.

In the Technical Education Sector the Government started a scheme of community polytechnics in 1978-79 under which selected polytechnics act as focal points to promote transfer of technology to rural areas. The scheme at present covers 108 polytechnics/institutions as per statement attached. [*See* Appendix CXLV, Annexure No. 30]. The community polytechnics impart training on non-formal basis through short-term courses in various vocational skills/trades. Each community polytechnic generally has 3-5 Extension Centres in rural areas.

Train Terminal at Bandra

954. SHRI JAGESH DESAI: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether there is any proposal to have train terminal at Bandra;

(b) the present position of that proposal; and

(c) the action taken and proposed to be taken thereon?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI MADHAVRAO SCINDIA): (a) Yes, Sir.

(b) and (c) Construction work for the terminal is in progress.